भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1525

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना

1525. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मेघालय राज्य के लिए निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का शिलांग या मेघालय के अन्य हिस्सों में विशेषकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर निर्यात-केंद्रित अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए नई टीआईईएस परियोजनाओं को स्वीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में टीआईईएस परियोजनाओं के तीव्रतर कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मेघालय राज्य में निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) अपरिहार्य निर्यात लिंकेजों के साथ अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए पात्र केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और संयुक्त उद्यमों को सहायता प्रदान करती है। पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को, अनुदान जारी करने के लिए टीआईईएस संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष रखा जाता है। पूर्व में, मेघालय राज्य से सीमा हाटों के उन्नयन के संबंध में पांच परियोजना प्रस्ताव टीआईईएस के अधीन

विचारार्थ हेतु प्राप्त हुए थे। हालांकि, ईसी द्वारा इन प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इन्हें पहले से ही निर्माण चरण में केंद्र सरकार की निर्यात अवसंरचना विकास और संबद्ध क्रियाकलाप (एएसआईडीई) योजना के लिए राज्यों को पूर्व सहायता के माध्यम से निधि प्रदान की जा चुकी थी। वर्तमान में, विभाग में मेघालय से कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) टीआईईएस के तहत अवसंरचना सृजन के लिए केन्द्र सरकार की सहायता, अनुदान सहायता के रूप में होती है, जो सामान्यत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी जा रही इक्विटी अथवा परियोजना में कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होती है। हालांकि, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।

टीआईईएस संबंधी अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और परियोजनाओं के समय पर और उचित कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की नियुक्ति की जाती है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	द्वारा अनुमोदित निधि	निधि अनुमोदन का वर्ष	टीआईईएस के तहत जारी निधि	स्थिति
1	मेघालय औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), मेघालय सरकार	सीमा हाट हुरोई, पूर्वी जैंतिया हिल्स जिला, मेघालय	6.64	4.83	2022-23	4.83	पूर्ण

*****